बोली प्रपत्र

विभाग में स्टेशनरी सप्लाई हेतु बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम व पता .....
2. बोलीदाता का फोन व मोबाईल नं. .....
3. पेन नं.....
4. धरोहर राशि----------रूपये बैंकर्स चैक या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट नम्बर----------
   दिनांक---------- बैंक का नाम----------संलग्न है।
5. मैं/हम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना कमांक 02/2018–19 दिनांक 07.06.2018 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में अंकित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ करते है।
6. कार्य का विवरण :– स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति
7. रजिस्ट्रेशन कमांक/ टीन नम्बर ----------
8. बैंक का नाम ---------- खाता संख्या ---------- IFSC Code
9. जीएसटी नंबर.....
10. प्रस्तावित दर निम्नानुसार है–

क्र.स	नाम सामग्री	दर (समस्त कर एवं चार्ज सहित)
1	पियोन डायरी नीलगगन	
2	स्टेप्लर बडा कंगारू	
3	फोटो स्टेट रिम एफ एस जे के इजी	
4	जावक रजिस्टर 400 पेज कमल	
5	गोन्द बॉटल 700 मि.ली. केमल	
6	एल फोल्डर ए–4	
7	एल फोल्डर एफ एस	
8	एल फोल्डर ट्रांस्प्रेरेंट ए–4	
9	एल फोल्डर ट्रांस्प्रेरेंट एफ एस	
10	फेक्स रोल 30 मीटर नीलगगन	
11	यू पिन रंगीन	
12	स्लीप पेड 40 पेज	
13	फ्लेग तीन कलर	
14	फ्लेग पांच कलर	
15	फाईल कवर	
16	स्ट्रीप फाइल एफ एस	
17	कार्यालय टिप्पणी 100 पेज (एक पेड) 70 जीएसएम पेपर	
18	स्टेप्लर पिन छोटी कंगारू	
19	स्टेप्लर पिन बडी कंगारू	
20	आवक रजिस्टर 400 पेज से छोटा कमल	
21	डाक पेड नीलगगन	
22	डाक पेड	
23	गोन्द ट्यूब केमल	

24	स्लीप पेड 20 पेज	
25	फाइल पेड	
26	लिफाफे 7X4	
27	लिफाफे 11X5	
28	प्लेन पेज मार्कर 2X3	
29	फ्लेग चार कलर	
30	स्ट्रीप फाइल ए–4	
31	पोकर (सुवा)	
32	स्टेपलर छोटा कंगारू	
33	आवक रजिस्टर 400 पेज कमल	
34	स्टाम्प पेड बडा	
35	स्टाम्प पेड छोटा	
36	स्टेनो डायरी नीलगगन	
37	आल पिन जेबरा	
38	स्लीप पेड 80 पेज	
39	लिफाफे 9X4	
40	प्लेन पेज मार्कर 2X1	
41	प्लेन पेज मार्कर 3X3	
42	फाईल टेग 9X24 मल्टी कलर	
43	पेन ड्राइव 4 जीबी	
44	साधारण रजिस्टर न. 4	
45	फोटो स्टेट रिम ए–4	
46	करेक्टिंग पेन/बोटल	
47	बटन फोल्डर दो पैकेट	
48	बटन फोल्डर सिम्पल	
49	पोस्टेज रजिस्टर कमल	
50	फेविस्टिक 8 एम.जी.	
51	लिफाफे 16X12	
52	लिफाफे 12X10	
53	लिफाफे 14X10	
54	लिफाफे 08X10	
55	प्लेन पेज मार्कर 2X3	
56	फाइल लेस 9X24	
57	पेन ड्राइव 8 जीबी	
58	हाईलाईटर	
59	प्लास्टिक कोटेड फाईल पेड	
60	स्पाइरल डायरी नीलगगन नंबर 67	

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय फर्म के मोहर)

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को उचित रूप से निविदा सूचनानुसार मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। वेट एवं बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
3. आयकर के पेन नंबर की फोटो प्रति संलग्न करें।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

दरें :–

5. दरें प्रति आईटम शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।
6. दरें गन्तव्य स्थान आयुक्त कार्यालय एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वार कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभारों को भुगतान नहीं किया जाएगा ।

विधिमान्यता :–

7. निविदा में अनुमोदित दरें अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगीं।

विनिर्देश :–

8. प्रदाय की गई वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेशीफिकेशन, ट्रेड मार्क, सेम्पल के पूर्णतया अनुरूप होनी चाहिए ।

9. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है ।

10. प्रदाय की गई वस्तुएं निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं अनुमोदित सेम्पल के अनुरूप है अथवा नही इस सम्बन्ध में केता अधिकारी/क्रय समिति द्वारा किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रदाय की गई सामग्री जो अनुमोदित स्पेशीफिकेशन/अनुमोदित सेम्पल के अनुरूप नही पाए जाएगे तो उन्हे केता अधिकारी रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। निविदादाता द्वारा यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस सामान आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी ने रद्द कर दिया है अपने स्वंय के खर्चे पर बदलना होगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी।

नमूने :–

11. निविदाओं के साथ उचित रूप से पेक करके नमूने प्रस्तुत किये जावेगे। प्रत्येक सेम्पल पर लिखकर या नमूने के साथ मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उस निविदादाता का नाम, वस्तु की क्रम संख्या जिसका वह दर सूची मे सेम्पल है आदि लिखेगा । **बिना नमूने प्रस्तुत की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।**

12. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकृत नहीं हुई उनके नमूने कार्यालय मे रहेगे। उसमे किसी भी प्रकार की क्षति टूट–फूट या परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाऐगे उन्हे समपहृत कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नही किया जाएगा ।

13. अनुमोदित सप्लायर्स के सामग्री के निर्माण स्थल/गोदाम पर सामग्री डिस्पेच करने से पूर्व एक विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा ।

14. सप्लाई निर्धारित स्पेशीफिकेशन या अनुमोदित नमूने के अनुरूप होनी चाहिए है। जहां आवश्यक हो परीक्षण प्रयोगशालाओं मे कराया जायेा तथा सप्लाई किया गया समान परीक्षण/निरीक्षण मे विहित स्पेशीफिकेशन के स्तर का पया जाएगा तभी स्वीकार किया जावेगा ।

15. परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जाऐगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण/निरीक्षण करना चाहता है या यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेशीफिकेशन के अनुसार नही है तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाऐगे।

16. कय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा ।

17. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हें रदद किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा ।

18 रदद की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा ।

19. यदि सामान की सप्लाई केता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी प्रदाय हेतु संविदा को, किसी भी समय निराकृत कर सकता है । वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

20. यदि केता अधिकारी किसी निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा । अर्थात क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है ।

21. (क) निविदा के साथ निविदा प्रारूप में अंकित बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा बयाना राशि आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पक्ष में शिडयूल बैंक का चैक ड्राफ्ट/चैकर्स चैक के रूप में संलग्न करें ।

22. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है ।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय में भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो ।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसाार मदों की सप्लाई प्रारंभ करने में असफल रहता हो ।

करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–

23. (1) (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 3 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में पांच सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदायें स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, के 3 दिन के भीतर जमा करायी जायेगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

(2) (i) निदेशक उधोग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन समानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उधोग से पंजीयन को विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जायेगी तथा वे निविदा के अनुमोदित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा ।

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो ।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

24. (i) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाडा चुका कर भेजा जाएगा, यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल मे से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारो की भी वसूली की जायेगी ।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे मे भेजी जानी चाहिए ।

(iii) यदि केता अधिकारी माल को पैजेन्जर ट्रेन से भिजवाने से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

(iv) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण भार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा ।

25. अनुमोदित सप्लायर को किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा । सन्तोषजनक आपूर्ति होने पर अनुमोदित सप्लायर्स द्वारा दो प्रतियों मे बिल प्रस्तुत करने पर आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा ।

आपूर्ति अवधि :–

26. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी के क्रय आदेश जारी होने के बाद निर्धारित 20 दिन के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि कमें वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है –

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 %

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के अधिक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 %

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए के लिए 10 %

(ड) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी

(च) यदि सप्लायर किन्हीं बाधाओं के कारण संविदा अंतर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस अधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह

उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद करेगा ।

(छ) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

27. परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट रदद की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट रदद किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

28. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, को स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

29. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को (राज्य सरकार) प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र निर्णायक होगे तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

30. अनुमोदित सप्लायर्स संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सौपेगा या उप भाग (सब लेट) पर नहीं देगा ।

31. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या अनुमोदित सप्लायर) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर